रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-28112024-258999
CG-MH-E-28112024-258999

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 954] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 28, 2024/अग्रहायण 7, 1946
No. 954] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 28, 2024/AGRAHAYANA 7, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 28 नवम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024

फा. सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/212.—बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 21क, धारा 23जक तथा धारा 31, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क, धारा 12, धारा 15जख तथा धारा 30, निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22) की धारा 19-झक तथा धारा 25 और कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 68 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018,_भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (दस्तावेजों को प्रमाणित करना) (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, प्रथम अनुसूची में, प्ररूप-क में, खंड (x) में, शब्दों "प्रतियों की सत्यता एक प्राधिकृत नोटरी द्वारा साक्ष्यांकित होनी चाहिए" के स्थान पर शब्द "प्रतियाँ स्वयं प्रमाणित करके ही प्रस्तुत की जाएँ" आ जाएँगे।

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में, प्रथम अनुसूची में, प्ररूप-क में, खंड-1 में, शब्दों तथा चिह्नों "सम्यक् रूप से संपूरित आवेदन प्ररूप अनिवार्यत: समुचित समर्थक दस्तावेजों के साथ बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहिये। समर्थिक दस्तावेज नोटरी पब्लिक द्वारा सत्य रूप में अनुप्रमाणित होने चाहिएँ।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "आवेदन फॉर्म पूरा भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ बोर्ड के पास प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित करके ही प्रस्तुत किए जाएँ।" आ जाएँगे।

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 में, विनियम 11 में, उप-विनियम (3) में,

   (1) शब्दों, चिह्नों तथा अंकों "उप-विनियम (1) के अधीन छूट मांगने के लिए, अर्जनकर्ता, और उप-विनियम (2) के अधीन शिथिलीकरण मांगने के लिए लक्षित कंपनी बोर्ड के पास आवेदन, जो सम्यक् रूप से शपथ लेते हुए शपथ-पत्र (एफिडेविट) से समर्थित हो" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक "उप-विनियम (1) के तहत छूट मांगने के लिए, अर्जनकर्ता (अक्वायरर), और उप-विनियम (2) के तहत छूट मांगने के लिए लक्षित कंपनी (टार्गेट कंपनी) बोर्ड के पास आवेदन स्वयं प्रमाणित करके ही दाखिल करेंगे" आ जाएँगे; और

   (2) शब्दों "प्रस्तावित अर्जन और उन आधारों के ब्यौरे देते हुए दाखिल करेंगे जिन आधारों पर छूट मांगी गयी है" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "और साथ ही किए जाने वाले (प्रस्तावित) अर्जन के ब्यौरे भी देंगे और उन आधारों का भी जिक्र करेंगे जिन आधारों पर छूट मांगी गई हो" आ जाएँगे।

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में, अनुसूची-I में, प्ररूप-क में, खंड-1 में, शब्दों तथा चिह्नों "संपूर्ण आवेदन प्ररूप, बोर्ड को अनिवार्यत:, समुचित समर्थक दस्तावेजों और लागू आवेदन फीस के साथ, प्रस्तुत करना होगा। समर्थक दस्तावेज नोटरी पब्लिक द्वारा सत्य रूप में अनुप्रमाणित किये जाने चाहिए।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "आवेदन फॉर्म पूरा भरकर जरूरी दस्तावेजों और लागू आवेदन फीस के साथ बोर्ड के पास प्रस्तुत करना होगा। इस प्रकार प्रस्तुत किए जाने वाले जरूरी दस्तावेज स्वयं प्रमाणित करके ही प्रस्तुत किए जाएँ।" आ जाएँगे।

7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक)] विनियम, 2018 में, विनियम 28 में, खंड (ii) में,

   (1) शब्द तथा चिह्न "जिसके साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित शपथ-पत्र (एफिडेविट) लगाया जाएगा," हट जाएँगे; और

   (2) शब्दों "के पास एक आवेदन" के बाद और शब्दों "दाखिल करेगी" से पहले, शब्द "स्वयं प्रमाणित करके ही" जोड़े जाएँगे।

8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 2018 में, पहली अनुसूची में,

(1) फॉर्म-क में, खंड (x) में, शब्दों "प्राधिकृत नोटरी द्वारा सही प्रति के रूप में अनुप्रमाणित" के स्थान पर शब्द "स्वयं प्रमाणित करके ही प्रस्तुत" आ जाएँगे;

(2) फॉर्म-ग में, खंड (ix) में, शब्दों "प्राधिकृत नोटरी द्वारा सही प्रति के रूप में अनुप्रमाणित" के स्थान पर शब्द "स्वयं प्रमाणित करके ही प्रस्तुत" आ जाएँगे; और

(3) फॉर्म-च में, खंड (x) में, शब्दों "प्राधिकृत नोटरी द्वारा सही प्रति के रूप में अनुप्रमाणित" के स्थान पर शब्द "स्वयं प्रमाणित करके ही प्रस्तुत" आ जाएँगे ।

9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निपटारे संबंधी कार्यवाहियाँ) विनियम, 2018 में, अनुसूची-I के भाग-ग में,

(1) शब्द "और विधिवत् रूप से नोटरी करवाकर" हट जाएँगे; और

(2) शब्दों "आवेदन के साथ प्रस्तुत किया जाने वाला वचन" से पहले शब्द "स्वयं प्रमाणित करके किए जाने वाले" जोड़े जाएँगे ।

10. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता (डीलिस्टिंग)] विनियम, 2021 में, विनियम 42 में, उप-विनियम (2) में, शब्दों तथा चिह्नों "जिसके साथ विधिवत रूप से हस्ताक्षरित शपथ-पत्र (एफिडेविट) लगाया जाएगा," के स्थान पर शब्द "जो स्वयं प्रमाणित करके ही प्रस्तुत किया जाएगा, और" आ जाएँगे ।

11. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचकांक प्रदाता) विनियम, 2024 में, पहली अनुसूची में, फॉर्म-क में, खंड-1 में, शब्दों "किसी नोटरी पब्लिक से सही प्रति के रूप में प्रमाणित करवाना होगा" के स्थान पर शब्द "स्वयं प्रमाणित करके ही प्रस्तुत करना होगा" आ जाएँगे।

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./723/2024-25]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 28th November, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ATTESTATION OF DOCUMENTS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

F. No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/212.—In exercise of the powers conferred by section 21A, section 23JA and section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), section 11, section 11A, section 12, section 15JB and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), section 19-IA and section 25 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), and clause (f) of sub-section (2) of section 68 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations 2018, Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, Securities and Exchange Board of India (Index Providers) Regulations, 2024, namely:–

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Attestation of Documents) (Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, in the First Schedule, in Form A, in clause x, the words "attested as true by an authorised notary" shall be substituted with the words "self-attested".

4. In Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, in the First Schedule, in Form A, in clause 1, the words "attested as true by a notary public" shall be substituted with the words "self-attested".

5. In Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, in regulation 11, in sub-regulation (3),

(1) the words "supported by a duly sworn affidavit," shall be deleted; and

(2) before the words "application with the Board", the word "an" shall be substituted with the word "a" and the word "self-attested" shall be inserted.

6. In Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, in Schedule I, in Form A, in clause 1, the words "attested as true by a notary public" shall be substituted with the words "self-attested".

7. In Securities and Exchange Board of India (Buy-back of Securities) Regulations 2018, in regulation 28, in clause (ii),

(1) the words "supported by a duly sworn affidavit," shall be deleted; and

(2) before the words "application with the Board", the word "an" shall be substituted with the word "a" and the word "self-attested" shall be inserted.

8. In Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 2018, in the First Schedule,

(1) in Form A, in clause x, the words "attested as true by an authorised notary" shall be substituted with the words "self-attested";

(2) in Form C, in clause ix, the words "attested as true by an authorised notary" shall be substituted with the words "self-attested"; and

(3) in Form F, in clause x, the words "attested as true by an authorised notary" shall be substituted with the words "self-attested".

9. In Securities and Exchange Board of India (Settlement Proceedings) Regulations, 2018, in Part C of Schedule-I,

(1) the words "and duly notarized at the time of execution" shall be deleted; and

(2) before the words "application with stamp duty", the word "self-attested" shall be inserted.

10. In Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2021, in regulation 42, in sub-regulation (2), the words "supported by a duly sworn affidavit" shall be substituted with "which shall be self-attested".

11. In Securities and Exchange Board of India (Index Providers) Regulations, 2024, in Schedule I, in Form A, in clause 1, the words "attested as true by a notary public" shall be substituted with the words "self-attested".

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./723/2024-25]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.11.28 22:20:03 +05'30'